

अन्य पिछडा वर्ग नॉन क्रीमीलेयर का समयावधि एक वर्ष वृद्धि का शपथ – पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी उम्र
वर्ष
निवासी तहसील जिला
राजस्थान शपथपूर्वक निम्न प्रकार बयान/घोषणा करता/करती हूँ कि –

1. राज्य के पिछडे वर्ग का होने तथा क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) के नहीं होने के संबंध मुझे सक्षम अधिकृत (कार्यालय का नाम) से क्रमांक दिनांक द्वारा तीन वर्ष के लिए प्रमाण-पत्र जारी हुआ था।
2. मेरी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय के अनुसार आगामी एक वर्ष के लिए भी मैं राज्य सरकार द्वारा घोषित क्रीमीलेयर की सीमा में नहीं हूँ।
3. मैं शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि यह तथ्य मेरी जानकारी में हैं कि इस शपथ-पत्र में अंकित तथ्य का गलत अथवा मिथ्या होना भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त शपथ-पत्र की मद संख्या 1 से 3 तक मेरी निजी जानकारी में सत्य एवं सही है। इसमें कोई भी तथ्य नहीं छुपाया गया है और ना ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

प्रमाणिकरण

उपरोक्त शपथकर्ता मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी
उम्र वर्ष निवासी तहसील जिला
राजस्थान ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर शपथपूर्वक उक्तानुसार अभिकथन किया है जिसे प्रमाणिकृत किया जाता है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

स्थान :
दिनांक :

प्रमाणिकरण अधिकारी (कार्या पालक मजिस्ट्रेट)
/नोटेरी पब्लिक का नाम व पद मय सील